

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

—0—

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक :

एफ1-35/2015/स्था./चार.-छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24, सन् 2015) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निक्षेपकों के हितों के संरक्षण के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम व प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम, 2015 कहलाएंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा :- इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005;
(ख) “कलेक्टर” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20, सन् 1959) के उपबंधों के अधीन ऐसे रूप में नियुक्त व्यक्ति;
(ग) “राजस्व अधिकारी” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20, सन् 1959) में यथा परिभाषित अधिकारी;
(घ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(ङ) “धारा” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।
(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में क्रमशः दिया गया है।

3. **वित्तीय स्थापना द्वारा कारोबार की सूचना की रीति.**— (1) प्रत्येक वित्तीय स्थापना धारा 6 के अंतर्गत उसके कारोबार (व्यवसाय) की विशिष्टियों की सूचना अनुसूची के प्ररूप—एक में सूचित करेगी।
(2) सक्षम प्राधिकारी प्राप्त सूचनाओं का विवरण अनुसूची के प्ररूप—दो में संधारित रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा।
4. **शिकायतों का अभिलेख.**— सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के अधीन प्राप्त शिकायतों का अभिलेख संधारित करेगा और संबंधित विवरण अनुसूची के प्ररूप—तीन में संधारित रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा।
5. **शिकायत मिलने पर प्रक्रिया.**— निक्षेपकों से या अन्य प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी वित्तीय स्थापना ने कपटपूर्ण व्यक्तिक्रम किया है अथवा नहीं इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए ऐसी जांच प्रारंभ कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे :

परंतु यह कि ऐसी जांच के संबंध में सक्षम प्राधिकारी शिकायत की प्रतिलिपि वित्तीय स्थापना को संसूचित कर सकेगा, और वित्तीय स्थापना सक्षम प्राधिकारी को यह संतुष्ट करने की दशा में कि उसने ऐसे निक्षेप, ब्याज, बोनस, लाभ या अन्य किसी रूप में देय राशि का प्रतिसंदाय कर दिया है या ऐसी सुविधाएं दे दी हैं जिसके बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने की अनुमति दे सकेगा।

6. **संपत्ति की कुर्की और विक्रय की प्रक्रिया.**— (1) सक्षम प्राधिकारी कुर्क धन या अन्य सम्पत्ति अभिरक्षा में रखेगा, और कुर्क सम्पत्ति के परिसर में पाये गए किसी अभिलेख, लेखा बहियों, कागजात और दस्तावेज के सुरक्षित रखाव की व्यवस्था करेगा।

(2) यदि विशेष न्यायालय धारा 7 के अधीन जारी अंतःकालीन आदेश को आत्यंतिक बनाने हेतु आदेश देता है या अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई निर्देश जारी करता है, सक्षम प्राधिकारी, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस हेतु प्राधिकृत संबंधित जिले के

कलेक्टर के अधीनस्थ कोई राजस्व अधिकारी, कुर्क सम्पत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्र. 5, सन् 1908) के आदेश 21 के अंतर्गत उपबंधित अनुसार विक्रय से करेगा।

(3) कुर्क किए गए धन या अन्य सम्पत्ति की कुर्की, प्रबंधन एवं व्ययन के संबंध में समस्त आय और उपगत व्यय का अभिलेख संधारित करेगा, और विशेष न्यायालय को यथा अपेक्षित प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची
प्ररूप-एक
(नियम 3 (1) देखिए)
कारोबार (व्यवसाय) के विवरण की सूचना

प्रति,

छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित है, संक्षम प्राधिकारी,..... (जिला),

छत्तीसगढ़

महोदय,

मैं, (नाम व वित्तीय स्थापना में पदनाम),

नीचे उल्लिखित वित्तीय स्थापना के कारोबार (व्यवसाय) के निम्नलिखित विवरण एतद्वारा सूचित करता हूँ:

1. (क) वित्तीय स्थापना का नाम :
- (ख) पंजीकृत मुख्य कार्यालय (पता, फोन नंबर, ई-मेल पता) :
- (ग) निगमन का स्वरूप (कंपनी, भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, स्वाम्य प्रतिष्ठान, न्यास (ट्रस्ट), अन्य फर्म (कृपया निर्दिष्ट करें), पंजीकृत सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, अन्य निगमन का पंजीयन करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता, और पंजीयन प्रमाण-पत्र का विवरण (संख्या और दिनांक) :
- (घ) वित्तीय स्थापना के प्रबन्धन या कारोबार अथवा क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी संप्रवर्तकों, भागीदारों, (यदि वित्तीय स्थापना भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी है), सदस्यों, प्रबंधकों और अन्य व्यक्तियों या कर्मचारियों का विवरण :—

स.क्र.	नाम	विवरण (वित्तीय स्थापना के प्रबन्धन या कारोबार अथवा क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी
--------	-----	--

		संप्रवर्तक / निदेशक / भागीदारी / सदस्य / प्रबंधक / अन्य व्यक्ति या कर्मचारी)
(1)	(2)	(3)

व्यवसाय	पता	फोन नंबर	ई-मेल पता	पैन नंबर	आधार कार्ड नंबर
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ड) क्षेत्र जिनमें छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रारंभ पर कारोबार पहले से जारी था :

(च) संबंधित सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में क्षेत्र जिनमें कारोबार प्रारंभ करना प्रस्तावित है :

(छ) एजेंट सहित वे व्यक्ति जो वित्तीय स्थापना की ओर से निक्षेप लेने के लिए अधिकृत हैं :-

अनुक्रमांक	नाम	कर्मचारी है या एजेंट	कार्यक्षेत्र	व्यवसाय	पता	फोन नंबर	ई-मेल पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

पैन नंबर	आधार कार्ड
----------	------------

	नंबर
(9)	(10)

2. सांविधिक वित्तीय क्षेत्र विनियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम / कम्पनियों का रजिस्ट्रार / अन्य केंद्र व राज्य विनियामक (निर्दिष्ट कीजिए) के साथ वित्तीय स्थापना के पंजीयन का विवरण (संख्या और दिनांक) :

3. कर प्राधिकारियों (आय कर अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम और राज्य के मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत) के साथ वित्तीय स्थापना के पंजीयन का विवरण (संख्या और दिनांक) :

4. छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत वित्तीय स्थापना के पंजीयन का विवरण (संख्या और दिनांक) :

5. (क) योजना या समझौते के अधीन या किसी अन्य रीति से प्राप्त किए जा रहे हैं (छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रारंभ होने के समय कारोबार पहले से ही जारी होने की दशा में) या प्राप्त होने वाले (कारोबार प्रारंभ होना प्रस्तावित होने की दशा में) :

(ख) वित्तीय स्थापना की निक्षेप लौटने की योग्यता और क्षमता के समर्थन में विवरण :

6. वित्तीय स्थापना की चल और अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :-

सम्पत्ति का प्रकार	संपत्ति की पहचानकारी विवरण		मूल्य / राशि (रूपए. में)
अचल सम्पत्ति	जिला :		
	तहसील / तालुका :		
	राजस्व ग्राम :		

	सर्वे / खसरा नंबर या नजूल शीट और प्लॉट नंबर :		
	क्षेत्रफल :		
बैंक खातों में निक्षेप, और अन्य निक्षेप	प्रत्येक बैंक का नाम, उसकी शाखा और खाता संख्या :		
	अन्य निक्षेप धारित करने वाले निकायों का नाम और पूर्ण विवरण, निक्षेप के पहचानकारी विवरण सहित :		
वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट)	शेयर (प्रत्येक कंपनी और संबंधित डिस्टिंक्टिव नंबर कीजिए) :		
	बॉण्ड (प्रत्येक कंपनी और संबंधित डिस्टिंक्टिव नंबर कीजिए) :		
	अन्य (पूर्ण पहचानकारी निर्दिष्ट कीजिए) :		
अन्य	पहचानकारी विवरण :		

7. विवरण दीजिए वित्तीय स्थापना के बैंकों और बैंक खातों का संचालन करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों का विवरण :-

स.क्र.	बैंक	शाखा	खाता संख्या	अधिकृत व्यक्ति का नाम	आधार कार्ड नंबर	पैन नंबर	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

फोन नंबर	ई - मेल पता	बैंकर का नाम	बैंकर का पदनाम	शाखा का आई एफ एस सी कोड
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

8. छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आरंभ पर कारोबार कर रही वित्तीय स्थापना के मामले में :

- (क) कारोबार, प्रारंभ करने का दिनांक :
- (ख) निक्षेपकों से लिए गए निक्षेपों की कुल राशि :
- (ग) निक्षेपकों की संख्या :
- (घ) जो निक्षेप परिपक्वता पर चुकाये नहीं गए हैं और ब्याज, बोनस, लाभ या अन्य किसी रूप में देय राशि जिस पर व्यतिक्रम किया गया है का विवरण :

निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतिलिपि या (इस सूचना के हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभिप्रमाणित) :संलग्न हैं :-

- (एक) इस सूचना प्ररूप के सरल क्रमांक 1(घ), 1(छ) और 7 में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड
- (दो) इस सूचना प्ररूप के सरल क्रमांक 1(ग), 2, 3 और 4 के उल्लिखित पंजीयन प्रमाण-पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज
- (तीन) इस सूचना प्ररूप के सरल क्रमांक 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति के स्वत्वधिकार के समर्थन में दस्तावेज
- (चार) इस सूचना प्ररूप के सरल क्रमांक 6 में उल्लिखित बैंक खातों की बैंक पासबुक या बैंक विवरणी (स्टेटमेंट) (जो तीन माह से पुराने न हो)

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

स्थान

नाम

पदनाम

प्ररूप-दो
(नियम 3(2) देखिए)
प्राप्त सूचनाओं का रजिस्टर

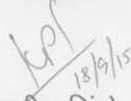
स.क्र.	सूचना प्राप्ति का दिनांक	वित्तीय स्थापना का नाम	वित्तीय स्थापना का पता	कारोबार प्रारंभ करने का दिनांक	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप-तीन
(नियम 4 देखिए)
शिकायतों का रजिस्टर

स.क्र.	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	वित्तीय स्थापना का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत है	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	निवर्तन की दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

निवर्तन की विशिष्टियां	अभ्युक्तियां
(7)	(8)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


 (कमलप्रीत सिंह)
 विशेष सचिव